सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक – 11 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 05 – 12 मार्च 2018 मूल्य पांच रूपए

11000 करोड़ के कर्ज से ही पूरा हो पायेगा 41440 करोड़ का खर्च

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने अपना पहला बजट भाषण सदन में पढ़ते हुए यह खुलासा सामने रखा कि वीरभद्र के इस शासनकाल में 18787 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लिया गया जो कि किसी भी पूर्व सरकार के शासनकालों से अधिकत्तम है। जयराम ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश वित्तिय प्रबन्धन बुरी तरह कुप्रबन्धन में बदल चुका है। मुख्यमन्त्री ने सदन मे आंकड़े रखते हुए कहा कि 2007 में भाजपा सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तब प्रदेश का कर्ज 19977 करोड़ था। जो कि 31 दिसम्बर 2012 को पद छोड़ते समय 27598 करोड़ था। परन्तु अब 18 दिसम्बर 2017 को यह कर्ज बढ़कर 46385 करोड़ हो गया है। वीरभद्र सरकार ने 2013 से 2017 के बीच 18787 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लिया है। जयराम ने कर्ज की जो तस्वीर सदन में रखी है वह निश्चित तौर पर एक चिन्ता जनक स्थिति है और यह सोचने पर विवश करती है कि कर्ज लेकर विकास कब तक किया जाये और क्या सरकारें सही में विकास कर रही हैं या छोटे-छोटे वर्ग बनाकर तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है। क्योंकि तुष्टिकरण और विकास में दिन और रात जैसा अन्तर होता है।

जयराम को जिस तरह की वित्तिय विरासत मिली है उसको सामने रखकर यह स्वभाविक सवाल उठता है कि क्या जयराम इस स्थिति से अपने बजट से बाहर निकल पाये हैं या नही। इसके लिये बजट को समझना होगा। इस सरकार ने 41440 करोड़ के कुल खर्च का बजट पेश किया है। इसमें 11263 करोड़ वेतन, 5893 करोड़ पैंशन, 4260 करोड़ ब्याज, 3184 करोड़ ऋणों की वापसी पर, 448 करोड़ अन्य ऋणों पर और 2741 करोड़ रख -रखाव पर खर्च होंगे। इस तरह 41440 करोड़ में से 27789 करोड़ इन अनुत्पादक मुद्दों पर खर्च होंगे जोकि हर हालत में खर्च करने ही पड़ेंगे। इसलिये इन खर्चो को राजस्व व्यय कहा जाता है तथा यह नॉन प्लान में आता है। नॉन प्लान का खर्च सरकार को अपने ही साधनों से करना पड़ता है। इसके लिये केन्द्र से कोई सहायता नही मिलती है। इस खर्च का विकास कार्यो के साथ कोई संबध नही होता है। इन खर्चो के बाद सरकार के पास विकास कार्यो के लिये 41440 में से केवल 13651 करोड़ बचता है।

इसी परिदृश्य में यह सवाल उठता है कि 41440 करोड़ का खर्च करने के लिये सरकार के पास आय कितनी है। सरकार जहां राजस्व पर खर्च करती है वहीं राजस्व से आय भी होती है। राजस्व आय में टैक्स और नॉन टैक्स से आय केन्द्रिय करों से आय, केन्द्रिय प्रायोजित स्कीमों के तहत अनुदान से आय शामिल होती है। सरकार की यह कुल राजस्व आय 30400.21 करोड़ है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं और इन पूंजीगत प्राप्तियों में सकल ऋण और दिये गये ऋणो की वसूलीयां शामिल होती हैं इसमें सरकार 7730.20 करोड़ के ऋण लेगी और 34.55 करोड़ दिये गये ऋणों की वापसी के रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह सरकार की कुल पुंजीगत प्राप्तियां 7764.75 करोड़ होगी। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों को मिलाकर सरकार के पास 38164 करोड़ आयेंगे। इस तरह 41440 करोड़ के कुल प्रस्तावित खर्च से कुल प्राप्तियों को निकाल देने के बाद 3276 करोड़ का ऐसा खर्च रह जाता है जिसे पूरा करने के लिये कर्ज लेना पड़ेगा। गौरतलब है कि पूंजीगत प्राप्तियों में किये गये 7730 करोड़ के ऋण के प्रावधान से यह 3276 करोड़ का ऋण अतिरिक्त ऋण होगा। मूलत: सरकार का कुल खर्च 41440 करोड़ है और आय केवल 30400 करोड़ है। इस तरह करीब 11000 करोड़ सरकार को ऋण से जुटाने होंगे। जिस ऋण का पूंजीगत प्राप्तियों में जिक्र कर दिया जाता है वह तो राजय की समेकित निधि का हिस्सा बन जाता है लेकिन ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से बाहर लिया जाता है। उसे अतिरिक्त ऋण कहा जाता है। इस तरह किये गये खर्च का नियमितीकरण काफी समय बाद हो पाता है और कैग रिपोर्ट में इस खर्च को समेकित निधि से बाहर किया गया खर्च करार देकर इसे संविधान की धारा 205 की उल्लघंना माना जाता है पिछले कई वर्षो से सरकारें संविधान की इस धारा का उल्लंघन करके खर्च करती आ रही है। कैग रिपोर्ट मे हर वर्ष इसका विशेष उल्लेख रहता है।

सरकार 41440 करोड़ कहां खर्च करेगी इसका पूरा उल्लेख बजट दस्तावेज में है। इस दस्तावेज को देखने से पता चलता है कि 2018-19 में निर्माण कार्यो पर केवल 9.22% ही खर्च कर पायेगी।

कर्जो पर आश्रित रहेगी यह सरकार -अग्निहोत्री

शिमला/शैल। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने अपने पहले ही बजट भाषण में साफ कर दिया है कि उनकी सरकार पूरी तरह कर्जो और केन्द्र की सहायता पर आश्रित है और बेरोजगारी को दूर करने के लिये उनके पास कोई योजना नही है। उन्होने बजट को बेरोजगारों और युवा वर्ग से बड़ा धोखा करार दिया। अभी कुछ महीने पहले ही चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में बेरोजगारी की दुहाई दे रही थीं वायदा था सत्ता परिवर्तन पर वे बड़े पैमाने पर नौकरियों का प्रबन्धन करेगी लेकिन मौजूदा बजट में न तो नौकरियों का प्रावधान किया गया और न ही बेरोजगारी दूर करने की दिशा में ही कोई पुख्ता पहल की गई है। उल्टे बेरोजगारी भत्ता जैसी महत्वकांक्षी योजना को भी समाप्त कर दिया गया है। उन्होने दलील दी कि मंहगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री खामोश रहे।

मुख्यमंत्री ने सारा ध्यान प्राईवेट सैक्टर की तरफ केन्द्रित किया है और हिमाचल के भोले भाले लोगों से चुनाव में किये गए वायदों को नज़रअन्दाज कर दिया है। उन्होन कहा कि मुख्यमंत्री का पहला बजट भाशण क्रान्तिकारी और प्रदेश को आगे ले जाने की दिशा में कोइ पहल करने वाला होना चाहिये था लेकिन ऐसी कोई भी सोच मुख्यमन्त्री के बजट भाषण के माध्यम से नही दिख पाई हैं और बजट में न तो कोई नयापन है और न ही कोई नई सोच इस बजट में सामने आई है। मुख्यमंत्री ने लम्बे बजट भाषण में छोटी- छोटी प्रोत्साहन राशि देकर अपनी पीठ थप-थपाने की कोशिश की है। अन्यथा यह न तो भाजपा के दृष्टिपत्र और न ही घोषणा पत्र को पूरा करने का कोई प्रयास है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट के शुरूआत में ही यह दलील दी कि पूर्व सरकारों ने कर्जे लेकर सरकारें चलाई है लेकिन बजट के अंत में यह साफ कर दिया कि वे भी कर्जे लेने के फार्मूले पर ही चलेंगे और बजट के घाटे को कर्जो से और केन्द्रिय रियायतों से ही करेंगें जिसकी शुरूआत हो भी चुकी है। सरकार ने शुरूआती दौर में दो हज़ार करोड़ के कर्जे ले भी लिये है। उन्होने कहा कि बजट उन्ही अधिकारियों ने बनाया हैं जो पहले भी बनाते आये है। इसलिये इसमें वही शेरो -शायरी और साहित्यिक अंदाज डालकर मुख्यमंत्री को खुश करने का प्रयास किया है। इसके अलावा पूर्व सरकार के समय में जो योजना चलाई गई उन्हे अपने खाते में डालने का अनावश्यक प्रयास किया है। उन्होने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना पूर्व सरकार के शासन से चली आ रही है और डेढ लाख से अधिक बेरोज़गारों को इसका फायदा भी मिल चुका है हर साल इसके लिए जिस तरह 100 करोड़ रू रखा जाता था उसी नीति पर वर्तमान सरकार भी चल रही है। जबकि बेरोजगारी भत्ते को समाप्त कर बेरोजगारों पर कुठाराघात करने का प्रयास किया है। उन्होने कहा कि 3 मैडिकल कॉलेजों की योजना भी कांग्रेस शासन के समय से चली आ रही है उसे भी भाजपा अपने खाते में डालने की अनावश्यक प्रास कर रही है जब कि यह पूर्व केन्द्रिय मंत्री गुलाम नवी आज़ाद के समय में हालिस हुई थी। डिजिटल राशन कार्ड योजना भी कांग्रेस के समय में ही शुरू हो चुकी है और उन्होने खेत संरक्षण योजना या पोली हाऊस योजनायें, सस्ता राशन अन्न योजना यह भी पहले से चली आ रही योजनायें है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस बजट में भाजपा के वायदो के अनुरूप Entry टैक्स हटाने का कोई प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। रूसा को समाप्त कर विद्यार्थीयों को लुभाने के लिए जो एलान किये जाते रहे हैं उसका एलान भी नही हुआ है। गरीबों के लिए आवास योजना राशि बढाने की तरफ भी कोई कदम नही उठाया गया है। उन्होने कहा कि सरकार सत्ता के पहले दौर में कर्मचारियों के तबादलों व जश्न मे उलझी रही इसलिये बजट के लिए कोई पुख्ता समय उपलब्ध नही करवा सकी। इस बजट में जयराम सरकार कोई भी दूरदर्शी कदम नही उठा पाई है।

पुलिस महानिदेशक ने दिया 100 दिनों के एक्शन प्लान पर की गयी कारवाईयों का ब्योरा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 100 दिनों के एक्शन प्लान के अन्तर्गत अन्य लक्ष्यों के अतिरिक्त मादक पदर्थो की तस्करी को रोकने के लिए मादक पदार्थ अधिनियम को कठोरता से लागू किया जा रहा है।

उपरोक्त लक्ष्य की अनुपालना में पिछले 07 सप्ताह दिनांक 19.01.2018 से 08.03.2018 की अवधि में पुलिस विभाग द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया गया है। मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए 256 व्यक्तियों, जिनमें 14 नेपाली व 01 विदेशी भी शामिल हैं, के विरूद्ध 208 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।

उपरोक्त पंजीकृत अभियोगों में 87.718 किलोग्राम चरस, 1659.1 ग्राम अफीम, 759.66 किलोग्राम चूरा पोस्त, 78.48 किलोग्राम गांजा, 275.16 ग्राम हेरोइन, 19.83 ग्राम कोकीन, 13.97 ग्राम स्मैक व 53202 रूपये बरामद किए गए हैं।

मादक पदार्थ को पकड़ने वाले 52 पुलिस कर्मचारियों में से 02 को डी.जी.पी. डिस्क व 50 कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र व 17,400 रूपये पुरस्कार के तौर पर स्वीकृत किए गए है।

अन्य लक्ष्यों के अतिरिक्त खनन माफिया व वन माफिया के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपरोक्त लक्ष्य की अनुपालना में पिछले 07 सप्ताह दिनांक 19.01.2018 से 08.03.2018 तक खनन माफिया के विरूद्ध पुलिस द्वारा खनन अधिनियम के अंतर्गत 804 चालान किए गए हैं, जिनमें से पुलिस द्वारा 628 चालानों को कम्पाउंड करके 41.38 लाख/- रूपये की राशि दोषियों से जुर्माने के तौर पर प्राप्त की है। 176 चालानों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिनमें से 33 चालानों में अदालतों द्वारा दोषियों को 1,53,800/- रूपये की राशि जुर्माने के तौर पर अदा करने के आदेश पारित किए गए हैं जबकि शेष 143 चालान न्यायालय में विचाराधीन हैं।

वाहन दुर्घटनाओं को रोकने एवं मोटर वाहन अधिनियम को कठोरता से लागू करने की दिशा में इस अवधि में शराब पीकर गाड़ी चलाने के 731 चालान, बिना हैलमेट के दुपहिया वाहन चलाने के लिए 26112, तेज रफ्तार व लापरवाही से गाड़ी चलाने के 1924, गाडी चलाते हुए मोबाईल फोन सुनने के 1610, बिना सीट बैल्ट पहनकर गाड़ी चलाने के 20893 व्यक्तियों के व ओवर लोड़िंग के 46 चालान करके उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्व मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई गई है।

वन माफिया के विरूद्ध भी पुलिस विभाग द्वारा इस अवधि में 67 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं जिसमें 1.37 करोड़ रूपये की वन संपदा संलिप्त है। इन अभियोगों में अभी तक 45 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें लगभग 1.2 करोड़ रूपये की सम्पति को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। गुडिया हैल्पलाइन के अंतर्गत दिनांक 26.01.2018 से 08.03.2018 तक 162 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 150 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा शेष 12 शिकायतों में कार्यवाही की जा रही है।

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना हुई विफल

शिमला/शैल। एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ बेटियों की पढ़ाई करने से रोका जा रहा है। ऐसा ही एक मामला बद्दी में आया है। जहां पर एक स्कूल में दो छात्राओं को परीक्षा देने से रोका। यह दो छात्राएं ही नहीं अन्य छात्र भी हैं, जिन्हें रोका गया है। वहीं, स्कूल प्रबंधन की माने तो फीस जमा नहीं होने के कारण छात्रों को परीक्षा देने से रोका गया है। ऐसे में छात्रों के अभिभावकों को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी है व स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रोष व्याप्त है। छात्राओं के पिता निर्मल सिंह ने बताया कि उन्हें फीस के लिए कोई नोटिस नहीं मिला। इस बात का पता उन्हें उस समय चला जब घर आकर छात्राओं ने उन्हें इस बारे बताया। छात्राओं ने कहा कि उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया। इसके अलावा दर्जनों छात्रों को रोका गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकारें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ स्कूल मनमानी फीस वसूल कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्कूल प्रबंधन से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने स्वीकारा की नियम के मुताबिक फीस जमा न होने के चलते छात्रों को परीक्षा देने से रोका है। नालागढ़ के एसडीएम प्रशांत देष्टा ने कहा कि अभी तक उनके पास इस तरह का कोई मामला नहीं आया है और कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत ही शर्मनाक है, उचित कारवाई की जाएगी।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate/percentage rate tenders are hereby invited by the Executive Engineer, Spiti B&R Division, HP.PWD; Kaza on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the below noted works from eligible Contractors registered in H.P.P.W.D. in appropriate class so as to reach in this office on or before 02 -04-2018 up to 3.00 PM. and the same shall be opened on the same day at 3.30 PM., in the presence of the Contractors or their authorized representatives who may be present. The tender forms can be had from this office against cash payment (Non Refundable) on 28-3-18 at 3.00 PM.
The tender shall accompany with earnest money which should be in the shape of NSC/Time Deposit/Saving Bank account in the Post Office/bank in H.P. duly pledged in the favour of undersigned.
Conditional tenders, telegraphic and tender without earnest money will not be entertained. The Executive Engineer, Spiti B&R Division, HP.PWD; Kaza reserves the right to accept or reject the tenders. The tender shall remain valid for 120 days from the date of opening of the tenders.

Job No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest money	Time
1. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Attrgoo Sagnam Mudh Bhawa road KM 0/0 to 34/0 /0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 0/0 to 1/0) under state head	747853/-	14960/-	Six Month
2. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Attrgoo Sagnam Mudh Bhawa road KM 0/0 to 34/0 /0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 1/0 to 2/0) under state head	747853/-	14960/-	Six Month
3. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Attrgoo Sagnam Mudh Bhawa road KM 0/0 to 34/0 /0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 8/0 to 9/0) under state head	747853/-	14960/-	Six Month
4. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Attrgoo Sagnam Mudh Bhawa road KM 0/0 to 34/0 /0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 15/0 to 16/0) under state head	695789/-	13920/-	Six Month
5. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Attrgoo Sagnam Mudh Bhawa road KM 0/0 to 34/0 /0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 23/0 to 24/0)under PMGSY head	695789/-	13920/-	Six Month
6. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Attrgoo Sagnam Mudh Bhawa road KM 0/0 to 34/0 /0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 24/0 to 25/0)under PMGSY head	747853/-	14960/-	Six Month
7. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Sichling Dhankhar road KM 0/0 to 8/750 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 5/0 to 6/0) under PMGSY head	747853/-	14960/-	Six Month
8. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Gulling to Kungri road KM 0/0 to 2/0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 0/0 to 1/0) under PMGSY head	695789/-	13920/-	Six Month
9. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Gulling to Kungri road KM 0/0 to 2/0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 1/0 to 2/0) under PMGSY head	695789/-	13920/-	Six Month
10. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Poh to nidang road KM 0/0 to 6/0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 0/0 to 1/0) under state head	747853/-	14960/-	Six Month
11. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Poh to nidang road KM 0/0 to 6/0 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 1/0 to 2/0) under state head	737440/-	14750/-	Six Month
12. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Munselling to Rangrik Gompa via GHS Rangrik road KM 0/0 to 2 /00 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 0/0 to 1/00) under state head	747853/-	14960/-	Six Month
13. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Kaza to Langza road KM 0/0 to 15/500 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 0/0 to 1/0) under state head	737440/-	14750/-	Six Month
14. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Rangrik to Kwelling road KM 0/0 to 7/675 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 1/0 to 2/0) under state head	747853/-	14960/-	Six Month
15. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Munselling to Rangrik Gompa via GHS Rangrik road KM 0/0 to 1 /510 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 1/0 to 1/510) under state head	379844/-	7600/-	Six Month
16. Providing renewal coat under Annual Maintenance plan on Kaza to Langza road KM 0/0 to 15/500 (SH:-Providing and laying renewal coat at KM 1/0 to 2/0) under state head	747853/-	14960/-	Six Month

1) The Contractor/Firm shall have his Sale Tax Number, PAN card ,GST no & copy of the same be attached with the application.
2) The intending Contractor/Firm Should have attached copy of registration/Renewal and Copy of proof of registration under Employee provident funds and miscellaneous provision Act 1952 with application.
3) The intending Contractors are requested to see the site of the work before submitting the tender.
4) Tender documents shall be issued to those contractors/Firms who submitted the certificate from Executive Engineer concerned to the effect that he has completed successfully similar nature of works during last three years in respect of tarring work.
5) The Executive Engineer reserves the right to reject/accept any or all the tenders without assigning any reasons.
6) . A contractor enlisted in particular class shall be eligible to tender for his own class and one step below.

Adv. No.-4151/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

जैव सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर

सोलन/शैल। डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में ''राज्य स्तरीय जैव सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यशाला'' का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय और बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड द्वारा सयुंक्त रूप से किया गया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के यूएनईपी/ जीईएफ की जैवसुरक्षा क्षमता निर्माण परियोजना के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

नौणी विवि के कुलपति डा. एचसी शर्मा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया जहां जैव सुरक्षा नियमों, सुरक्षा पहलुओं और एलएमओ संबंधित विषयों पर विभिन्न तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. एस के चक्रवर्ती सहित कई अन्य वक्ताओं जिनमें एन.आई.एन. हैदराबाद के डा. दिनेश कुमार, आई.ए.आर.आई. में जेनेटिक्स विषय के पूर्व प्रोफेसर डा. ओपी गोविला, पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर के सीईओ डा. अजीत दुआ और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त निदेशक डा. मुरली कृष्णा प्रमुख थे, ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। यूनिवर्सिटी के सभी विभागों के 100 से अधिक छात्रों, शोधकर्ताओं और विस्तार विशेषज्ञों ने कार्यशाला में भाग लिया।

बी.सी.आई.एल. के चीफ जनरल मैनेजर डा. विभा आहूजा ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य भारत सरकार की बायोसेफ्टी पर क्षमता निर्माण परियोजना के तहत विकसित परियोजना परिणामों का प्रसार करना है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत कई संसाधन दस्तावेजों और आउटरीच सामग्री का विकास किया गया है, जिनमें से कुछ का स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है, प्रतिभागियों को बांटी गई।

अपने संबोधन में डा. चक्रवर्ती ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी देश की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के

लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि, बायोटेक उत्पादों को उनके व्यावसायिक उपयोग से पहले जैव सुरक्षा नियमों का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में बायोटेक क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान हो रहा है और प्रभावी जैव सुरक्षा नियम भी हैं। सभी हितधारकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि जैव सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक हो ताकि सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से प्रौद्योगिकी के लाभों को दोहन किया जा सके। इस मौके पर डा. एचसी शर्मा ने कहा कि आनुवांशिक संशोधन, विकास का आधार है और आज के दौर में इसके स्वास्थ्य और कृषि में व्यापक अनुप्रयोग है। आमतौर पर इस्तेमाल किए गए उत्पादों जैसे इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी के टीके, कई जैव औषधि भी इसी तकनीक से विकसित की गई है। कपास की आनुवांशिक किस्म (बीटी कॉटन) से भारत को बहुत लाभ हुआ है।

डॉ. शर्मा ने वैज्ञानिकों द्वारा जीएम फसलों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए वैज्ञानिकों की आगे आने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यशाला में अन्य वक्ताओं का यह मानना था कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के व्यावसायीकरण के संबंध में वैज्ञानिकों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। उनके अनुसार सार्वजनिक रूप से जीएम फसलों को स्वीकार करने में जनता के बीच कुछ चिंताएं हैं और वैज्ञानिक समुदाय को इन्हें दूर करने के लिए आगे आकर तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने की जरूरत है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tender on form 6 & 8 are invited by the Executive Engineer, Mandi Division No-II, H.P.PWD: Mandi for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in H.P.PWD so as to reach in his office on or before 9.4.2018 Up to 11.30 A.M. and will be opened on the same day at 3.30 P.M. in the presence of interesting contractors or their authorized representatives who may like to be present. If it happen to be holiday on the tender will be open on next working day. The application for obtaining the tender form will be received up to 1.00 PM on 74.2018 and EMD should be attached during the submission of application for obtaining the tender form, without EMD application will not be accepted and the tender form can be had from this office against cash payment (Non refundable) up to 5.00 P.M. on 7.4.2018

The earnest money in the shape of National Saving Certificate/ Time deposit accounts/Saving account in any of the Post Office and Banks of Himachal Pradesh duly pledged in favour of the Xen must accompany with each tender. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The earnest should be attached with application. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

Sr.No. Name of Work	Estt cost	E/Money	Cost of tender form	Time limit
C/O various material stacking yard in Divisional store HPPWD Mandi-II (SH:-C/O wire crate R/wall /proctection wall at RD 0/0 to 28.75)	Rs.287711/-	Rs.5800/-	Rs.350	One month

GENERAL CONDITIONS:-

1 The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.

2 The contractors whose rates are abnormally low may be asked to furnish the full justification of his rate failing which he will be debarred to compete in tendering for four months.

3 The contractor will not have more than two works in hand at the time of tender and only up to completion of work satisfactory including adherence to quality parameters further work will be awarded to him. All under taking that he is not having more than two works in hand must be recorded in the application.

Adv. No.-4227/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

SJVNL ने जयराम सरकार को दिया दो अरब का चेक

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार व केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम एसजेवीएन लिमिटेड ने प्रदेश सरकार को 200.45 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश प्रदान किया। राज्य सरकार की कम्पनी में 25.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नन्द लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को 200,45,28,210 रुपये का चैक भेंट किया।

नन्द लाल शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि हिमाचल प्रदेश ने 1055 करोड़ रुपये के शेयर का निवेश किया है तथा एसजेवीएन ने इस लाभांश भुगतान सहित अभी तक प्रदेश सरकार को 1464 करोड़ रुपये का कुल लाभांश अदा किया है।

शर्मा ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि अभी तक एसजेवीएन की 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जल विद्युत् परियोजना तथा 412 मेगावाट रामपुर जल विद्युत् परियोजना नामक दो परियोजनाओं ने लगभग 1,00,776 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिसमें से प्रदेश को 12,093 मिलियन यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस वित्त वर्ष के दौरान एसजेवीएन ने इन दोनों परियोजनाओं से 9008 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की है, जिसमें से 1080 मिलियन यूनिट बिजली प्रदेश को निःशुल्क प्रदान की गई है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से लूहरी जल विद्युत् परियोजना तथा धौलासिद्ध जल विद्युत् परियोजना के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग के लिए आग्रह किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नन्दा, प्रधान सचिव ऊर्जा आर.डी. धीमान व एनजेवीएन के निदेशक (विद्युत) आर.के. बंसल भी उपस्थित थे।

प्राकृतिक खेती विषय पर शिमला में सम्मेलन

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने कहा कि पीटरहॉफ, शिमला में शून्य लागत प्राकृतिक खेती विषय पर 17 मार्च, 2018 को एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि होंगे और अध्यक्षता मुख्यमंत्री, जय राम ठाकुर करेंगे। डॉ. बाल्दी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन में प्रदेश मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य, विधायक, जन प्रतिनिधि, हिमाचल प्रदेश के सभी जिला के किसान व बागवान, कृषि, पशुपालन, बागवानी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभागों सहित आन्ध्र प्रदेश का शून्य लागत खेती से संबंधित एक विशिष्ट दल भी भाग लेगा जो किसानों एवं बागवानों को आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही इस परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। यह दल किसानों, बागवानों से इस परियोजना के बारे में परिचर्चा कर प्रदेश में इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सुझाव भी देगा ताकि प्रदेश में इसके कार्यान्वयन से किसानों की आर्थिकी में वृद्धि हो सके।

डॉ. बाल्दी ने कृषि, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को सम्मेलन की सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में संयुक्त सचिव कृषि नरेश ठाकुर, कृषि विभाग के निदेशक देसराज, उद्यान विभाग के निदेशक डॉ. महेन्द्र सिंह राणा, पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ एस.के. चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से उनके मंत्रालय में मुलाकात कर हिमाचल के निवासियों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और इन समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्यवाही की अपील की।

विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा-मैं हमेशा से ही देश और विदेश में रह रहे सभी हिमाचलीयों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहा हूँ। इसी क्रम में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर विदेशों में फँसे हिमाचली लोगों के कार्यो के बारे में उन्हें अवगत कराया है। इस बारे में सुषमा स्वराज ने मंत्रालय को जल्द से जल्द कार्यवाही करने का निर्देश दिया हैं

आगे बोलते हुए ठाकुर ने कहा-उना के रहने वाले स्वर्गीय जोगिंदर कुमार की दुबई में नौकरी के दौरान आकस्मिक निधन के बाद

कम्पनी की तरफ से दी जाने वाली सहायता राशि प्राप्त करने में उनकी माँ कमला देवी को मिलनी थी। किन्हीं कारणों से ये सहायता राशि कमलादेवी को नहीं मिल पा रही थी जिसके बारे में मैंने विदेश मंत्री को अवगत करा दिया है। इसके अलावा जिला उना के ही स्वर्गीय जसवीर सिंह जो दुबई कार्यरत थे उन्हें बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया जिनका इलाज के दौरान निधन हो गया था। स्वर्गीय जसबीर के परिवार वालों की उनके शव वापसी के अलावा और कुछ माँगें हैं जिनके बारे में मैंने सुषमा स्वराज को बता दिया है। विदेश मंत्री ने मुझे जल्द से जल्द इन मुद्दों को सुलझाने का भरोसा दिलाया है।

विनीत चौधरी की अर्जी पर IFS चतुर्वेदी को जमानती वारंट

शिमला/शैल। प्रदेश के मुख्य सचिव 1982 बैच के आईएएस अधिकारी विनीत चौधरी और उत्तराखंड काडर के चर्चित आइएफएस अधिकारी मैम्सेसे अवार्डी संजीव चतुर्वेदी के बीच दरार थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी की एक अदालत ने मुख्य सचिव विनीत चौधरी की निजी शिकायत पर संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए है व मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी है। यह जमानती वारंट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमनदीप सिंह ने जारी किए है।

जानकारी के मुताबिक बीते साल विनीत चौधरी ने एसीजेएम की अदालत में संजीव चतुर्वेदी पर मानहानि की शिकायत की अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने इस पर संज्ञान लिया और चतुर्वेदी को सम्मन जारी किए थे। विनीत चौधरी सुनवाई के मौके पर खुद अदालत में हाजिर थे।

उन्होंने अदालत में शिकायत कर रखी है कि संजीव चतुर्वेदी ने देश भर के विभिन्न संस्थानों सीबीआई, सीवीसी के अलावा मंत्रियों और उच्चाधिकारियों को उनके खिलाफ शिकायती चिट्ठियां भेजकर उनकी मानहानि करने का प्रयास किया है। इन चिट्ठियों में उनके खिलाफ संगीन आरोप लगाए गए है। इस शिकायत के साथ चौधरी ने कई चिट्ठियों को भी संलग्न किया है।

मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने कहा कि चतुर्वेदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुए है व अगली सुनवाई 19 अप्रैल को है।

याद रहे है कि जब विनीत चौधरी दिल्ली में एम्स में तैनात थे तो संजीव चतुर्वेदी ने उनके खिलाफ कई मामले उजागर किए थे। तब चतुर्वेदी एम्स में मुख्य विजीलेंस अधिकारी के पद पर तैनात थे। इन शिकायतों में से कई सीबीआई व सीवीसी तक गई। इन मामलों में मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का नाम भी सुर्खियों में रहा।

अब यह दरार दोबारा शुरू हो गई है। चौधरी सितंबर में सेवानिवृत हो जाने हैं। चतुर्वेदी इन दिनों उत्तराखंड सरकार के वन विभाग में तैनात हैं।

उनका काडर पहले हरियाणा था। भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के लिए देश भर में मशहूर युवा आईएफएस संजीव चतुर्वेदी हरियाणा वन विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के बाद चर्चा में आए थे। तब से लेकर अब तक वह दर्जनों मामले उजागर कर चुके है।

सेब बागवानों को नत्रजन खादों के बारे में सलाह

शिमला/शैल। पिछले कुछ वर्षो से बागवानों को सेब के लिए कैन खाद (कैल्शियम अमोनियम नाईट्रेट) उपलब्ध नहीं हो रही है क्योंकि अधिकतर जगह इसका उत्पादन बंद हो चुका है। इस कारण बागवान परेशानी की स्थिति में हैं। डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, ने इस स्थिति से निपटने के लिए और किसानों की यह चिंता दूर करने के लिए एक विशेष सलाह दी है।

विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं जल प्रबन्धन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. जेसी शर्मा ने बताया कि कुछ बागवानों द्वारा उपयोग किए जा रहे कैल्शियम नाईट्रेट में नत्रजन की मात्रा केवल 15.5 प्रतिशत ही होती है, जो की कैन और यूरिया की तुलना में काफी कम है। सेब में नत्रजन की पूर्ति के लिए लगभग 4.5 किलोग्राम खाद प्रति पेड़ कि दर से डालनी पड़ सकती है, जो कि एक बहुत महंगा विकल्प है। उन्होनें बताया कि यह एक घुलनशील खाद है जिसका अधिकतर उपयोग पॉलीहाउस तथा फर्टिगेशन में ही किया जाता है। जो बागवान इसका प्रयोग करते हैं, वे ज्यादातर इसे कम मात्रा यानि 500-1000 ग्राम प्रति पौधा ही डालते हैं जिससे इस महत्वपूर्ण अवयक की भरपाई नहीं हो पाती है।

विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. जे एन शर्मा ने बताया कि नौणी विवि द्वारा किए गए अनुसंधानों में यह पाया गया है कि कैन खाद के सस्ते विकल्प के रूप में यूरिया को उपयोग में लाया जा सकता है, जिसके कोई दुष्प्रभाव नहीं पाये गए हैं और यह उपयुक्त मात्रा व विधि में प्रयोग करने पर मृदा स्वास्थ्य पर भी कोई विपरीत असर नहीं डालता है।

एक दस वर्ष व इससे ऊपर की आयु के फलदार पेड़ में डेढ़ किलो (1.5 kg) यूरिया का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा सुझाया गया है। यह मात्रा, दो हिस्सों में बराबर डाली जानी चाहिए- पहले 750 ग्राम यूरिया, फूल आने के लगभग तीन हफ्ते पहले डाली जानी चाहिए और दूसरी, फूल आने के एक महीने बाद। इसके साथ ही अक्तूबर-नवम्बर में तौलियों में लगभग बारह सौ ग्राम (1200 gram) बारीक बुझा हुआ चूना (मिट्टी की आवश्यकता अनुसार), मिट्टी से अच्छी तरह मिला दें।

सभी क्षेत्रों को समाहित करने वाला है राज्य का बजट - सीआईआई

शिमला/शैल। सीएमआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आईएमजेएस सिद्धू ने हिमाचल प्रदेश के पहले बजट को समग्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला तथा भविष्य के लिए राह तैयार करने वाला करार देते हुए इस बजट हेतू मुख्यमंत्री की सराहना की। कृषि, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर राय व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रावधान 2020 तक किसानों की आय का दोहरीकरण करने के राष्ट्रीय दृष्टि की दिशा में एक कदम है। दूसरी तरफ, एजीटी में 25 प्रतिशत की कमी और छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बिजली शुल्क में कमी से निश्चित रूप से एसएमई क्षेत्र को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि सीआईआई ने राज्य सरकार से निवेदन किया कि एजीटी को जीएसटी में समाहित किया जाए। इसके अलावा पहले पांच साल के लिए किसी भी नए छोटे और मध्यम औद्योग को विद्युत शुल्क की छूट नए निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार के इरादे दर्शाता है।

सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष हरीश अग्रवाल ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भूमि पट्टा अवधि को 30 साल से बढ़ाकर 90 साल करना सकारात्मक कदम है। साथ ही औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि पट्टा के प्रावधानों की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। प्रक्रियाओं के सरलीकरण के जरिए निवेश को आकर्षित करने की सरकार की प्रतिबद्धता बहुत अहम है क्योंकि राज्य भरपूर प्रोत्साहन पैकेज जारी कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश जिला सुशासन सुचकांक पर कार्य करने वाला देश का पहला राज्य

शिमला/शैल। प्रशासनिक सुधार संगठन तथा पब्लिक अफेयर केन्द्र बंगलुरू के संयुक्त तत्वावधान में हि.प्र. सचिवालय में जिला सांख्यिकीय अधिकारियों की एक दिवसीय सघन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जिला सुशासन सुचकांक परियोजना को विकसित करना है, जो देश में इस तरह की पहली परियोजना है। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए प्रशासनिक सुधार संगठन की सचिव डॉ. पूर्णिमा चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जिला स्तरीय सुशासन सुचकांक पर कार्य करने वाला देश का पहला राज्य है। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी उपायुक्तों से सात महत्वपूर्ण विषयों तथा 18 फोकस विषयों सहित 52 संकेतकों पर विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला सांख्यिकीय अधिकारी तथा जिला स्तरीय सुशासन नोडल अधिकारी उपयुक्त प्रशिक्षण के उपरांत आंकड़ों को एकत्र करने में सहायता करेंगे। इससे तय 9 समय सीमा के भीतर इस कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता मिलेगी और हिमाचल प्रदेश इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए देश में एक आदर्श, प्रणेता और मिसाल के तौर उभर कर सामने आएगा। कार्यशाला के दूसरे चरण में सभी प्रशिक्षुओं का हिप्पा में डिजिटल तकनीक से मापन भी किया गया ताकि वे संबंधित जिलों में सूचना एकत्रित करने के लिए नवीनतम तकनीक को अपना सके। उन्होंने कहा कि यह राज्य की प्रायोगिक परियोजना होगी, जो डिजिटल इण्डिया निर्माण में निचले स्तर तक सहायता करेगी।

जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। .....चाणक्य

सम्पादकीय

मूर्तियां तोड़ने से वैचारिक स्वीकार्यता नही बनेगी

नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैण्ड की विधानसभाओं के लिये हुए चुनावों में भाजपा को पहली बार इतनी जीत मिली है कि तीनों राज्यों में वह सरकार में आ गयी है। त्रिपुरा में तो शुद्ध भाजपा की सरकार बनी है। यहां पर उसने सीपीएम से सत्ता छीनी है। नॉर्थ ईस्ट में मिली इस जीत को भाजपा ने पूरे देश में इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित भी किया है। भाजपा को यहां क्रमशः त्रिपुरा में 43% मेघालय में 9.6% और नागालैण्ड में 15.3% वोट मिले हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां भी भाजपा को कुल मतों के 50% से कम वोट मिले हैं। भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनावों में भी 31% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद हुए कुछ राज्य विधान सभाओं के चुनावों में भी भाजपा को 50% से कम ही वोट मिले हैं। इन आंकड़ो से स्पष्ट हो जाता है कि अभी तक भी भाजपा की स्वीकार्यता 50% से भी बहुत कम में है। इस परिदृश्य में भाजपा की जीत का श्रेय उसकी वैचारिक स्वीकारयता की जगह उसके चुनाव प्रबन्धन हो जाता है क्योंकि उसने सत्ता के लिये यहां उस दल से भी गठबन्धन कर लिया है जिसने तिरंगे को सार्वजनिक रूप से जलाया था। भाजपा को सत्ता के लिये ऐसे गठबन्धन में जाना चाहिये था या नही यह एक अलग बहस का विषय हो सकता है। त्रिपुरा की वामपंथी सरकार को लेकर मराठी में लिखी गयी एक किताब के हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद इस चुनाव में घर -घर पहुंचे हैं। इस किताब का चुनावों पर बहुत असर हुआ है जबकि किताब की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठे हैं। यह सब ऐसे विषय हैं जिनको लेकर मतभेद हो सकते हैं लेकिन चुनावों का अन्तिम परिणाम भाजपा की सफलता है और इस सफलता में यह सारे सवाल गौण हो जाते है।

लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ दी गयी। इस मूर्ति के टूटने के बाद बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेरठ में बाबा साहिब अम्बेडकर, तमिलनाडू में पेरियार और केरल में महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ तोड़ फोड़ की गयी है। उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू, प्रधानमन्त्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमितशाह ने मूर्तियां तोड़े जाने की घोर निंदा की है लेकिन राम माधव जैसे कुछ नेताओं ने इस तोड़ फोड़ को अप्रत्यक्षतः जस्टिफाई करने का भी प्रयास किया है। इन मूर्तियों के तोड़े जाने पर यह स्वभाविक है कि लोगों में इसको लेकर कुछ रोष तो अवश्य ही देखने को मिलेगा। दलित समाज आक्रोश में सडकों पर भी उत्तर आया है। मूर्तियों के टूटने का यह सिलसिला त्रिपुरा में भाजपा की सरकार आने के बाद शुरू हुआ है और संयोग से यह उन राज्यों में पहुंच गया है जहां आगे विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल, तमिलनाडू और केरल में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में उप चुनाव हो रहे हैं। जिनमें बसपा ने सपा को समर्थन देने की घोषणा की है। बंगाल में भाजपा ने खुला दावा किया है कि वह वहां सरकार बनायेगी। देश को कांग्रेस मुक्त करने का तो संकल्प लेकर भाजपा चल रही है। देश वैचारिक धरातल पर कांग्रेस को नकार कर भाजपा को अपना ले तो इसमें किसी को भी कोई एतराज नही होगा। लेकिन सत्ता के लिये रणनीतिक तौर पर मन्दिर - मस्ज़िद के झगड़े खड़े किये जाये और इस आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जाये तो इससे देश का कोई भला नहीं हो सकता है। आज देश का हर राज्य आवश्यकता से अधिक कर्ज में डूबा हुआ है। हर राज्य अपने लिये विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। आंध्रप्रदेश में टीडीपी के मन्त्री इसी मांग पर केन्द्रिय मन्त्रीपरिषद् से बाहर आ गये हैं और आन्ध्र में भाजपा के। आन्ध्र के बाद बिहार में नीतिश कुमार ने भी विशेष राज्य की मांग दोहरा दी है। बढ़ते कर्ज के कारण सभी राज्य वित्तिय बोझ के तले दबे हैं। लेकिन कोई यह समीक्षा करने को तैयार नही है कि राज्यों का कर्जभार इतना बढ़ कैसे गया। क्या इसके लिये सत्तारूढ़ दलों के अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ जिम्मेदार नही रहे है। लेकिन निष्पक्षता से कोई भी इसे स्वीकारने और समझने को तैयार नही है।

आज बैंको का एनपीए कितना बढ़ गया है। कितने लोग बैंको का कर्जा वापिस नही कर रहे हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी जैसे लोग देश से बाहर कैसे चले गये। कालेधन को लेकर किये गये दावों और वायदों का क्या हुआ है। यह सवाल अब जन चर्चा का विषय बन चुके हैं। देर- सवेर इन पर जवाब देना ही पड़ेगा। ईवीएम की विश्वसनीयता भी सन्देह के घेरे में है। राजनीतिक दलों का बहुमत ईवीएम की जगह फिर पुराने ''पेपर मतदान'' की मांग पर उत्तर आया है। मोदी सरकार ने ''एक देश एक चुनाव'' की बात महामहिम राष्ट्रपति के इस वर्ष के संसद में दिये गये अभिभाषण में उठाई थी। लेकिन उसपर आगे नहीं बढ़ पा रही है। बल्कि हरियाणा के मुख्यमन्त्री ने तो इसे एकदम असंभव करार दे दिया है। नोटबन्दी और जीएसटी के लाभ देश के सामने नकारात्मकता में सामने आ रहे हैं। इन फैसलों के परिणामस्वरूप रोजगार बढ़ने की बजाये कम हो रहे है। महंगाई में कोई कमी नही आयी है। इस परिदृश्य में आज मन्दिर -मस्ज़िद के झगड़े से भी कोई हल निकलने वाला नही है। क्योंकि यदि सारे मस्ज़िदों और चर्चो को तोड़ कर मन्दिर ही बना दिये जाये तो भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मंहगाई पर कोई फर्क पड़ने वाला नही है यह अब आम आदमी को समझ आने लग पड़ा है। आज रोटी, कपड़ा ,मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के मूलभूत प्रश्नों को राम मन्दिर निर्माण आदि के नाम पर ज्यादा देर के लिये टालना संभव नही होगा। आज जो नार्थईस्ट की जीत का देशभर में प्रचार करने के साथ ही जो मूर्तियां तोड़ने का एक नया मुद्दा खड़ा होने लगा है जनता इसके राजनीतिक मायने शीघ्र ही समझ जायेगी। क्योंकि प्रधानमन्त्री ने जिस भाषा में इसकी निन्दा की है उसी भाषा में वह गोरक्षा और लव जिहाद को लेकर उभरी हिंसा की भी निन्दा कर चुके हैं तब भी कुछ लोगों ने उसे जस्टिफाई किया था जैसे अब कर रहे हैं। यह सब एक राजनीतिक रणनीति के तहत होता है। देश के बहुमत को इसे समझने में देर नहीं लगेगी। इसलिये इस रणनीति के स्थान पर भाजपा को अपनी वैचारिक स्वीकारयता बनानी होगी।

क्यों ना इस महिला दिवस पर पुरुषों की बात हो?

''हम लोगों के लिए स्त्री केवल गृहस्थी के यज्ञ की अग्नि की देवी नहीं अपितु हमारी आत्मा की लौ है, रबीन्द्र नाथ टैगोर।''

8 मार्च को जब सम्पूर्ण विश्व के साथ भारत में भी ''महिला दिवस'' पूरे जोर शोर से मनाया जाता है और खासतौर पर जब 2018 में यह आयोजन अपने 100 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो इसकी प्रासंगिकता पर विशेष तौर पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

जब आधुनिक विश्व के इतिहास में सर्वप्रथम 1908 में 15000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में एक विशाल जुलूस निकाल कर अपने काम करने के घंटों को कम करने, बेहतर तनख्वाह और वोट डालने जैसे अपने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई शुरू की थी तो, इस आंदोलन से तत्कालीन सभ्य समाज में महिलाओं की स्थिति की हकीकत सामने आई थी।

उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि अगर वोट देने के अधिकार को छोड़ दिया जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वेतन और समानता के विषय में भारत समेत सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं की स्थिति आज भी चिंतनीय है।

विश्व में महिलाओं की वर्तमान सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर भारत की बात की जाए, तो 2017 में लैंगिक असमानता के मामले में भारत दुनिया के 144 देशों की सूची में 108 वें स्थान पर है जबकि पिछले साल यह 87 वें स्थान पर था। किन्तु केवल भारत में ही महिलाएँ असमानता की शिकार हों ऐसा भी नहीं है इसी रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि ब्रिटेन जैसे विकसित देश की कई बड़ी कंपनियों में भी महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। वेतन से परे अगर उस काम की बात की जाए जिसका कोई वेतन नहीं होता, जैसा कि हाल ही में अपने उत्तर से विश्व सुन्दरी का खिताब जीतने वाली भारत की मानुषी छिल्लर ने कहा था, और जिसे एक मैनेजिंग कंसल्ट कम्पनी की रिपोर्ट ने काफी हद तक सिद्ध भी किया। इसके मुताबिक, यदि भारतीय महिलाओं को उनके अनपेड वर्क अर्थात् वो काम जो वो एक गृहणी, एक माँ, एक पत्नी के रूप में करती हैं, उस के पैसे अगर दिए जाएं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान होगा। और इस मामले में अगर पूरी दुनिया की महिलाओं की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात पूरी दुनिया की जीडीपी का 13% हिस्सा देना होगा।

तो जब हर साल महिला दिवस पर महिलाओ की लैंगिक समानता की बात की जाती है, सम्मान की बात की जाती है, उनके संवैधानिक अधिकारों की बात की जाती है लेकिन उसके बावजूद आज 100 सालों बाद भी धरातल पर इनका खोखलापन दिखाई देता है तो इस बात को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है महिला अधिकारों की बात पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच में बदलाव लाए बिना संभव नहीं है। लेकिन सबसे पहले इस बात को भी स्पष्ट किया जाए कि जब महिला अधिकारों की बात होती है तो वे पुरुष विरोधी या फिर उनके अधिकारों के हनन की बात नहीं होती बल्कि यह तो सम्पूर्ण मानवता के, दोनों के ही उन्नत हितों की, एक सभ्य एवं समान समाज की बात होती है।

इसलिए इस बार महिलाओं दिवस पर पुरुषों से बात हो ताकि उनका महिलाओं के प्रति उनके नजरिए में बदलाव हो।

जिस प्रकार कहा जाता है कि एक लड़की को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित होता है उसी प्रकार एक बालक को महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की शिक्षा देने से उन पुरुषों का और उस समाज का निर्माण होगा जो स्त्री के प्रति संवेदनशील होगा। क्योंकि आधी आबादी को अनदेखा करके विकास और आधुनिकता की बातें विश्व में तर्क हीन ही सिद्ध होंगी।

जरूरत इस बात को समझने की है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं प्रतिस्पर्धी नहीं और मानव सभ्यता के विकास एवं एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता तथा सम्मान का भाव आवश्यक है।

और भारत की अनेकों नारियों ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि वह अबला नहीं सबला है, केवल जननी नहीं ज्वाला है।

वो नाम जो कल झाँसी की रानी था या कल्पना चावला था, आज देश की पहली डिफेन्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर पूजा ठाकुर या फिर भारतीय वायुसेना में फाइटर प्लेन मिग 21 उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी है।

तो महिला दिवस की सार्थकता महिलाओं के अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में नहीं अपितु पुरुषों के उनके प्रति अपना नजरिया बदल कर संवेदनशील होने में है।

डॉ नीलम महेंद्र

वायदों के आईने में जयराम का पहला बजट

जयराम सरकार का पहला बजट आ गया है। भाजपा ने चुनावों से पहले एक दृष्टि पत्र जारी करके प्रदेश की जनता से कुछ वायदे किये थे कि सत्ता में आने पर वह यह काम करेगी। वायदों के इस आईने में सरकार के प्रस्तावित कुछ कार्य यह रहेंगे।

अब मैं बजट के मुख्य सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ।

✓ भारतीय जनता पार्टी के "दृष्टि पत्र" को वर्तमान सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए मार्गदर्शक अभिलेख माना जाएगा।

✓ वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को, बिना किसी आय सीमा के, 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया।

✓ "गुड़िया" और "होशियार सिंह" हेल्पलाइन तथा शक्ति ऐप का शुभारम्भ किया गया।

✓ नई "मुख्यमंत्री लोक भवन" योजना आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में रू 30 लाख की लागत से ''लोक भवन'' बनेंगे।

✓ "विधायक क्षेत्र विकास निधि" के अन्तर्गत राशि को बढ़ाकर रू 1.25 करोड़ किया गया।

✓ विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर रू 7 लाख किया गया।

✓ लोक निर्माण व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में Works Management Information System (WMIS) लागू किया जायेगा।

✓ नई "ई–स्टैम्पिंग" योजना आरम्भ की जाएगी।

✓ रू 5 लाख से अधिक की निविदाओं को e-procurement Portal के माध्यम से जारी किया जाएगा।

✓ राज्य खाद्य उपदान योजना में रू 220 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

✓ महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नई "हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना" आरम्भ की जाएगी।

✓ रू 1,134 करोड़ की लागत वाली विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित "बागवानी विकास परियोजना" पर वर्ष 2018–19 में रू 100 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

✓ अगले पांच वर्षों में कमान्द विकास के लिए रू 500 करोड़ व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2018–19 में रू 130 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत रू 277 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

✓ मध्यम सिंचाई योजनाओं पर रू 85 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

✓ नई योजना जल से कृषि को बल'' के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में 250 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

✓ नई "Flow Irrigation Scheme" के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में रू 150 करोड़ का व्यय किए जाएंगे।

✓ नई "सौर सिंचाई योजना" के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में रू 200 करोड़ व्यय करने की घोषणा।

✓ कृषकों को सिंचाई के लिए बिजली की वर्तमान दर रू 1 प्रति युनिट से घटाकर 75 पैसे प्रति युनिट की जाएगी।

✓ 2018–19 से सेब, अन्य फलों तथा सब्जियों को H. P. Certain Goods Carried by Roads कर से पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी।

✓ नई योजना "प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान" रू 25 करोड़ के बजट प्रावधान से प्रारम्भ करने की घोषणा।

✓ जैविक कीटनाशक संयन्त्र की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत निवेश उपदान देने की घोषणा।

✓ "कृषि उपकरण सुविधा केन्द्रों" की स्थापना के लिए मशीनरी पर 40 प्रतिशत उपदान।

✓ कृषकों/बागवानों को पॉवर वीडर तथा पॉवर टिल्लर तथा अन्य उपकरणों पर उपदान हेतु रू 32 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ "Anti Hailnet" पर उपदान के लिए बजट रू 2.27 करोड़ से बढ़ाकर रू 10 करोड़ किया गया।

✓ नई "बागवानी सुरक्षा योजना" के अन्तर्गत एन्टी–हेलगन लगाने के लिए 60 प्रतिशत उपदान प्रदान करने के लिए रू 10 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ "मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना" के अन्तर्गत सौर बाड़ को सामूहिक तौर पर लगाने पर 85 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। रू 35 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ JICA फसल विविधिकरण योजना के द्वितीय चरण को रू 1,000 करोड़ की लागत से सभी जिलों में लागू किया जाएगा।

✓ रू 10 करोड़ की लागत से "हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना" का शुभारम्भ।

✓ "प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना" तथा "मौसम आधारित बीमा योजना" के लिए रू 29 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना द्वारा नई मण्डियों के उन्नयन करने एवं खोलने पर रू 150 करोड़ का व्यय प्रस्तावित।

✓ सहकारी दुग्ध संघों को दुग्ध एकत्रीकरण एवं वितरण की प्रतिपूर्ति हेतु रू 1 प्रति–लीटर की दर से भाड़ा उपदान की घोषणा।

✓ दूध खरीद मूल्य को रू 1 प्रति–लीटर बढ़ाने की घोषणा।

✓ "डेरी उद्यमी विकास योजना" के अन्तर्गत अतिरिक्त 10 व 20 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा।

✓ अच्छी नस्ल की दुधारू देसी गाय के लिए पशु आहार पर सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के लिए भी 50 प्रतिशत उपदान की घोषणा।

✓ नई "मुख्यमन्त्री मधु विकास योजना" के अन्तर्गत 80 प्रतिशत उपदान देने के लिए 10 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ Fish Feed ईकाई की स्थापना के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर छूट तथा यन्त्र तथा मशीनों पर 50 प्रतिशत निवेश उपदान।

✓ "गौसेवा आयोग" के गठन की घोषणा।

✓ "हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान तथा मंदिर न्यास अधिनियम" में संशोधन करके चढ़ावे के निर्माण, रख–रखाव तथा परिचालन के लिए व्यय करने का प्रस्ताव।

✓ शराब पर प्रति बोतल गौवंश विकास Cess जिससे रू 8 करोड़ प्राप्त होंगे।

✓ गौसदन स्थापित करने के लिए सरकारी भूमि रू 1 पट्टे पर देने की घोषणा।

✓ बेसहारा पशु रहित पंचायत को रू 10 लाख का पुरस्कार देने की घोषणा।

✓ प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त आवासों के पुनर्निर्माण हेतु मुख्यमन्त्री आवास योजना से धन राशि प्रदान करने की घोषणा

✓ ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा एकत्रित करने वालों को प्रोत्साहित करने के पिकअप वाहन खरीद पर 33 प्रतिशत उपदान।

✓ हर पंचायत में एक "ग्राम गौरव पट्ट" लगाया जाएगा।

✓ सूखे की स्थिति को देखते हुए मनरेगा में 100 दिनों के बदले 120 दिनों का रोजगार प्रस्तावित।

✓ प्रत्येक पंचायत में "मोक्ष धाम" चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे।

✓ जिला परिषद् एव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 45 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ पाँचवें राज्य वित्तायोग की अनुशंसा अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 194 करोड़ प्रदान किए जायेंगे।

✓ पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।

✓ आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना "वन समृद्धि, जन समृद्धि" लाई जाएगी।

✓ वन्य क्षेत्र में बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए रू 125 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ नई "सामुदायिक वन संवर्धन योजना" प्रारम्भ करने की घोषणा।

✓ नई "विद्यार्थी वन मित्र योजना" प्रस्तावित।

✓ युवा छात्रों में विज्ञान के प्रति रूची बढ़ाने के उद्देश्य से "युवा विज्ञान पुरस्कार"।

✓ नई "श्रेष्ठ शहर योजना" नई के अन्तर्गत पुरस्कार देने की घोषणा।

✓ शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।

✓ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए "National Generic Document Registration System" द्वारा "कहीं भी रजिस्ट्री" सेवा का प्रस्ताव।

✓ व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए हैण्डपम्प 75 प्रतिशत मूल्य पर लगवाए जाएंगे।

✓ जलापूर्ति व सिंचाई योजनाओं के विद्युतभार वहन हेतु 500 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा।

✓ Investment on Infrastructure progress की moniroting के लिए "हिम प्रगति" आरम्भ की जाएगी।

✓ उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए नेट SGST की समुचित अदायगी के लिए नीति बनाई जाएगी।

✓ चम्बा के बडोहशिंद तथा सिरमौर के नौहराधार में सीमेण्ट संयन्त्र लगाने की कार्यवाही।

✓ बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के लिए रू 35 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ बरोटीवाला –मंधला –परवाणु तथा बरोटीवाला गुनाई परवाणु सड़क को चौड़ा करने के लिए रू 4 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ छोटे उद्योगों पर विद्युत शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तथा मझोले उद्योगों पर 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत।

✓ औद्योगिक प्लॉट के लिए भूमि वर्तमान में 30 वर्ष के स्थान पर 90 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी।

✓ सभी नए छोटे व मझोले

शेष पृष्ठ 6 पर .....

वायदों के आईने में जयराम का पहला बजट

उद्योगों को 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क से छूट होगी।

✓ पनविद्युत नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

✓ वोल्टेज सुधार के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को रू 50 करोड़ ईक्विटी देना प्रस्तावित।

✓ घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत उपदान के लिए रू 475 करोड़ की राशि प्रस्तावित।

✓ पर्यटन के अनछुए क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजना "नई राहें नई मंजिलें" 50 करोड़ के बजट के साथ प्रारम्भ करने की घोषणा।

✓ ADB परियोजना के द्वितीय चरण में नए क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना के विकास हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।

✓ हेली–टैक्सी सेवा प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे तथा अतिरिक्त हैलीपैडों का निर्माण किया जाएगा।

✓ स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत धार्मिक सर्किट की अधोसंरचना विकसित करने के लिए रू 100 करोड़ की परियोजना केन्द्र सरकार भेजी जाएगी।

✓ धार्मिक व साहिसक पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा।

✓ पौंग, कोल, भाखड़ा बान्धों के जलाशयों में जल–क्रीड़ा तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ विकसित की जाएगी।

✓ तत्तापानी में जल–क्रीड़ा, स्थान के सौन्दर्यकरण, घाट एवं गर्म पानी के स्त्रोतों को विकसित किया जाएगा।

✓ पंजाब सरकार से समझौता कर आनन्दपुर साहिब से नैना देवी रोपवे के लिए प्रयास किए जाएंगे।

✓ धर्मकोट से त्रियूँड, जंजैहली से शिकारी माता व अन्य पर्यटन स्थलों पर रोपवे लगाने के प्रयास किए जाएंगे।

✓ पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेंगे।

✓ युवाओं को उद्योगों में स्वरोज़गार हेतु नई "मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना" का 80 करोड़ बजट प्रावधान के साथ शुभारम्भ।

✓ 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के हिमाचली युवाओं को Trade व Services में स्वरोजगार हेतु नई "मुख्यमन्त्री युवा आजीविका योजना" का 75 करोड़ बजट प्रावधान के साथ शुभारम्भ।

✓ युवाओं में Entreprenureship के विकास के लिए "उद्यम विकास कार्यक्रम" आयोजित किए जाएंगे।

✓ "दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना" को "दीन 77 करोड़ की लागत से लागू किया जाएगा।

✓ कौशल विकास भत्ते के लिए रू 100 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ हिमाचल पथ परिवहन निगम को अनुदान एवं इक्विटी के रूप में रू 300 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।

✓ सभी बस अड्डों तथा चुने हुए बस स्टॉप पर इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड लगाए जाएंगें, जहाँ प्रत्येक मार्ग पर आने वाली बस का समय दिखाया जाएगा।

✓ बस अड्डों व वहां पर शौचालय ब्लॉक के निर्माण हेतु अतिरिक्त रू 20 करोड़ का प्रावधान।

✓ सभी सरकारी निर्माणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली व मुख्यमन्त्री कार्यालय के अधीन स्वतन्त्र निगरानी स्क्वैड बनेगा।

✓ 2,500 किलोमीटर सड़कों की टारिंग का लक्ष्य निर्धारित। रख–रखाव के लिए पिछले वर्ष से 2018–19 में 100 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान।

✓ नई योजना Himachal Road Improvement Scheme के अन्तर्गत सड़कों के Cross Drainage के लिए रू 50 करोड़ बजट प्रावधान।

✓ साच, जलोड़ी, खड़ापत्थर तथा रोहतांग दर्रे को सर्दियों में भी खुला रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

✓ दुर्घटना सम्भावित स्थलों (Black Spots) पर सड़क की Alignment, साइन बोर्ड, रेलिंग लगाने के लिए रू 50 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ मुख्यमन्त्री सड़क योजना में रू 50 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ डीलरों के हित के लिए "The Himachal Pradesh Settlement of Pending Assessment Cases Bill", 2018 प्रस्तुत किया जाएगा।

✓ शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु पारदर्शी स्थानान्तरण नीति तैयार की जाएगी।

✓ नई योजना "मुख्यमन्त्री आदर्श विद्या केन्द्र" की घोषणा जिसके तहत 10 आवासीय विद्यालय बनेंगे। रू 25 करोड़ के बजट का प्रावधान।

✓ "अटल वर्दी योजना" के अन्तर्गत वर्दी के साथ पहली, तीसरी, छठी तथा 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक स्कूल बैग देने की घोषणा।

✓ चुने हुए विद्यालयों में "Atal Tinkering Labs" स्थापित किए जाएंगे।

✓ नई योजना "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" आरम्भ की जायेगी।

✓ छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए नई "मेधा प्रोत्साहन योजना" प्रारम्भ करने की घोषणा।

✓ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को रू 110 करोड़ का अनुदान की घोषणा।

✓ विलुप्त होती पाण्डूलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों को Digitise किया जाएगा।

✓ नई योजना "आज पुरानी राहों से" आरम्भ की जाएगी।

✓ इन्डोर सभा गृहों के निर्माण के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ कवियों/ लेखकों/ साहित्कारों के दैनिक भत्तों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा।

✓ वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु नई योजना "देव भूमि दर्शन" आरम्भ करने की घोषणा।

✓ बहुउद्देशीय इन्डोर खेल कॉमप्लेक्स के निर्माण हेतु रू 15 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ "मुख्यमन्त्री खेल विकास योजना" के अन्तर्गत रू 6.80 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ "हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना" के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना" आपात्कालीन चिकित्सा राशि रू 50,000 से बढ़ाकर रू 2.50 लाख करने की घोषणा। इसके लिए आय सीमा को हटाया गया है।

✓ ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के लिए नई "स्वास्थ्य में सहभागिता योजना" आरम्भ।

✓ सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए नई "मुख्यमन्त्री निरोग योजना" आरम्भ।

✓ "निःशुल्क दवा नीति" के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निशुल्क दी जाने वाली दवाईयों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

✓ मिज़ल और रूबेला की बीमारियों की रोकथाम के लिए 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य।

✓ नई "मुख्यमन्त्री आशीर्वाद योजना" के अन्तर्गत सभी नवजात शिशुओं को रू 1,500 मूल्य की "नव आगन्तुक" किट दी जाएगी।

✓ IGMC में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

✓ राज्य के गम्भीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष" का गठन।

✓ "मदर टेरेसा मातृ आश्रय सम्बल योजना" के अन्तर्गत सहायता राशि को बढ़ाकर रू 5,000 करने का प्रस्ताव।

✓ "बेटी है अनमोल" के अन्तर्गत BPL परिवारों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर रू 12,000 करने का प्रस्ताव।

✓ नई व्यापक "सशक्त महिला योजना" की घोषणा।

✓ "स्वास्थ्य बीमा योजना" के अन्तर्गत एक या दो बेटियों वाले परिवारों का क्रिटिकल केयर पैकेज रू 1,75,000 से बढ़ाकर रू 2,50,000 करना प्रस्तावित करता हूँ। अतिरिक्त रू 75,000 की राशि केवल बालिकाओं को देय होगी।

✓ सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर रू 750 प्रतिमाह तथा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर रू 1,300 प्रतिमाह करने की घोषणा। योजनाओं के लिए रू 600 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ सोलन हमीरपुर तथा चम्बा जिलों में एक–एक महिला पुलिस थाना खोलना प्रस्तावित।

✓ नियमित सरकारी कर्मचारियों/ पेंशनरों को मूल वेतन/ पैन्शन पर 1 जुलाई, 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अन्तरिम सहायता देना प्रस्तावित।

✓ अनुबन्ध कर्मचारियो को मूल वेतन के साथ ग्रेड पे का दोगुना वेतन स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

✓ दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाकर रू 225 प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित।

✓ पार्ट टाईम वाटर कैरियर, मिड् डे मील वर्कर्स, SMC Teacher, आषा कार्यकर्ता, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायक तथा जल रक्षक के मानदेय में बढ़ौतरी।

✓ कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिए रू 65 करोड़ तथा रख–रखाव के लिए रू 25 करोड़ का बजट प्रावधान।

✓ सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरे जाएंगे।

अनुपूरक मांगों में 25 गाड़िया खरीदने के लिये मांगा गया पैसा

शिमला/शैल। वित्तिय वर्ष 2017-18 के लिये 3327 करोड़ की अनुपूरक मांगे सदन से पारित करवायी गयी है। अनुपूरक मांगों में वह व्यय शामिल होता है जो मूल बजट के प्रावधानों से बढ़ जाता है। इन अनुपूरक मांगों के अनुसार सरकार का नॉन प्लान में भी 1816 करोड़ का खर्च बढ़ गया है। गैर योजना खर्चो में सामान्यत: वेत्तन, भत्ते, पैन्शन आदि सारे अनुत्पादक खर्चे शामिल रहते हैं। गैर योजना व्यय का 1816 करोड़ बढ़ जाना यह स्वभाविक सवाल खड़ा करता है कि थ्या सरकार ने चालू वर्ष में बजट प्रावधानों के अतिरिक्त कोई कर्मचारियों की भर्ती कर ली है जिनके लिये अनुपूरक मांगे लानी पड़ी। या सरकार ने कर्मचारियों को वर्ष के दौरान ऐसे कवत्तिय लाभ दे दिये जिनके बारे में पहले कोई विचार नहीं था। लेकिन कर्मचारियों को ऐसा लाभ तो जयराम सरकार ने पूर्ण राजत्व दिवस पर दिया। अनुपूरक मांगो की 25 मांगों में गाड़िया खरीदने के लिये पैसा मांगा गया है। इस पर भी यह सवाल उठता है कि सदि यह गाड़ियां अब 31 मार्च से पहले खरीदी जा रही है तो इसकी आवश्यकता क्यों खड़ी हुई? सदि यह पहले खरीद ली गयी है तो इसकी खरीद के लिये पैसा कहां से लिया गया। इन्ही मांगों में विजिलैन्स और सहकारिता में वकीलों की फीस देने के लिये पैसा मांगा गया है। क्या विजिलैन्स और सहकारिता में कोई अलग से कोर्ट केस थे जिनकी फीस के लिये पैसा मांगा गया है।

इसी तरह प्लान के तहत भी करीब 1100 करोड़ मांगा गया है क्या सरकार ने मूल बजट प्रावधानों से इतर जाकर कोई कवकास कार्य किये हैं। इस बारे मे अनुपूरक मांगों में विस्तार से कुछ नहीं कहा गया है। प्रदेश कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मुख्यमन्त्री जयराम ने भी इस पर चिन्ता जाहिर की है। पूर्व सरकार पर 18700 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने का आरोप है। ऐसे में जब प्रदेश कर्ज के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है तब क्या इन अनुपूरक मांगों के औचित्य के बारे में आम आदमी को नहीं बताया जाना चाहिये था। लेकिन जयराम सरकार ने पूर्व की वीरभद्र सरकार पर वित्तिय कुशासन का आरोपलगाने के बावजूद इन मांगों को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। जब यह मांग सदन में चर्चा के लिये रखी गयी थीतब कांग्रेस सदन से वॉकआऊट करके बाहर जा चुकी थी। कांग्रेस की गैर हाजिरी में यह सत्तापक्ष भाजपाकी जिम्मेदारी थी कि वह इसे आम आदमी के संज्ञान में लाते। लेकिन ऐसा न करके भाजपा ने भी यही प्रमाणित किया है कि वह इस सब पर भीतर से ही गंभीर नही है।

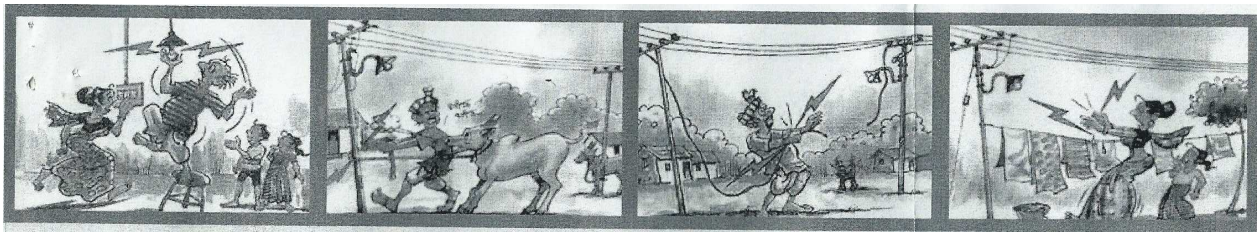

विद्युत सम्बन्धित सावधानियां

ऐसा न करें:-

- ✱ बिजली का फ्यूज बल्ब जब स्विच ऑन हो तो न बदलें।
- ✱ बिजली उपकरण कभी भी घटिया स्तर के न खरीदें क्योंकि ये घाटक हो सकते हैं।
- ✱ गीले व जख्मी हाथों से विद्युत उपकरण कभी न छुऐं।
- ✱ विद्युत खम्बों के साथ कपड़ों को न सुखाएं।
- ✱ विद्युत उपकरणों की न्यूट्रल व अर्थ तार को इक्टठा न करें।
- ✱ पानी गर्म करने के उपकरण व विद्युत प्रैस बिना अर्थ कनेक्शन के प्रयोग न करें।
- ✱ अनभिज्ञ व्यक्ति को कभी विद्युत प्रणाली व इसके उपकरणों को न छेड़ने दें।
- ✱ विद्युत प्लग पर क्षमता से अधिक अनउपयुक्त भार न डालें।
- ✱ विद्युत करंट के सम्पर्क में आए व्यक्ति को नगें हाथों से न छुऐं।
- ✱ विद्युत खम्बों व टावर पर न चढ़े न ही उनका सहारा लें।
- ✱ विद्युत खम्बों की ''स्टे वायर'' को न छुऐं।
- ✱ विद्युत लाईन के नीचे भवन न बनायें । न ही विद्युत खम्बों से तार जोड़कर कपड़े सुखायें।
- ✱ विद्युत प्रवाह वाली लाईन के आपसपास बिना विद्युत विभाग की इजाज़त के वृक्षों की टहनियों व वृक्ष न काटे और न ही इनके नीचे वक्षारोपण करें।
- ✱ विद्युत प्रवाह वाली लाईन के नीचे धातु से सम्बन्धित लम्बा सामान न ले जाऐं।
- ✱ विद्युत खम्बों के साथ पशुओं को न बांधें।
- ✱ गीले फर्श से विद्युत तारें न गुजारें।
- ✱ विद्युत उपकरणों को इस्तेमाल के उपरान्त विद्युत से जुड़ा न रहने दें।
- ✱ विद्युत उपकरणों की साफ –सफाई करते समय विद्युत सम्पर्क काटना न भूलें।
- ✱ बच्चों को विद्युत उपकरणों से छेड़खानी न करने दें।
- ✱ विद्युत लाईन के नीचे से अधिक ऊंचाई तक सामान से लदी गाड़ी के ऊपर यात्रा न करें। क्योंकि विद्युत सम्पर्क में आने से दुर्घटना हो सकती है।
- ✱ विद्युत व पानी की लाईन परस्पर कभी न बिछायें।
- ✱ ''कन्डयूट'' पाईप को विद्युत तारों से कभी पूरा न भरें कम से कम 50% जगह ''कन्डयूट'' पाईप में जरूर छोडें।
- ✱ बिजली चोरी न करें।

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैट्रीसिटी बोर्ड लि.

– विद्युत सम्पर्क –

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

भू–सुधार अधिनियम की धारा 118 में संशोधनों की राजनीति कब तक

कांग्रेस के वॉकआऊट से उठा बड़ा सवाल

शिमला/शैल। नव गठित जयराम ठाकुर सरकार के पहले बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से वॉकआऊट कर दिया। वॉकआऊट का विषय बना मुख्यमंत्री का वह ब्यान जिसमें उन्होने भू सुधार अधिनियम की धारा 118 में संशोधन किये जाने का संकेत दिया था। मुख्यमंत्री के ब्यान के साथ ही सरकार का इस आश्य का एक प्रेस नोट भी जारी हो गया था। यह सब उस समय हुआ जब बजट सत्र की तारीख घोषित हो चुकी थी। धारा 118 में संशोधन करना या न करना एक नीतिगत फैसला है और कायदे से ऐसे फैसले सदन में चर्चा के बाद ही लिये जाने चाहिये। फिर यह ब्यान किसी और का न होकर स्वयं मुख्यमंत्री का था इस नाते ब्यान को गंभीरता से लिया जाना स्वभाविक था और इस पर सदन में चर्चा की मांग किया जाना भी बनता था। यह दूसरी बात है कि यह चर्चा नियम 67 की बजाये किसी अन्य नियम में भी हो सकती थी। लेकिन नियमों के इस विवाद में यह चर्चा नही हो पायी और जनता के सामने सही स्थिति नही आ पायी है। क्योंकि बजट भाषण में इसका कोई सीधा जिक्र तो नही किया गया है लेकिन उद्योगों और अन्य पर्यटन आदि से जुड़ी योजनाओं की स्थापना को और सरल बनाने की प्रक्रिया में धारा 118 की भूमिका तो आवश्यक रूप से रहेगी ही। ऐसे में धारा 118 को लेकर प्रदेश की जनता के सामने सदन के माध्यम से यह आ जाना आवश्यक है कि सरकार की इस संबध में मंशा क्या है? जब यह धारा अधिनियम में लायी गयी है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ठोस वजह रही होगी जो संशोधन अबतक इसमें हो चुके हैं उनसे इसके मूल उद्देश्य पर क्या प्रभाव पड़ा है यह जानना जनता का हक है जिसे एक बार फिर टाल दिया गया।

स्मरणीय है कि धारा 118 की उल्लघंना के आरोप हर सरकार पर लगते आये हैं और इन्ही आरोपों के चलते बेनामी खरीद की जांच के लिये सिद्धू कमेटी, सेवानिवृत जस्टिस रूप सिंह ठाकुर कमेटी और फिर सेवा निवृत जस्टिस डीपी सूद की अध्यक्षता में जांच कमेटीयां तक गठित हो चुकी हैं। इन कमेटीयों की रिपोर्ट में हजारों की संख्या में बेनामी के मामले सामने भी आ चुके हैं। लेकिन किस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या और कितनी कारवाई हुई है इसकी कोई अधिकारिक जानकारी जनता के सामने नही आयी है। यही नही धारा 118 को चुनौती देते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय में CWP 443of 95, CWP 1068of 95, CWP 1083 of 2003, CWP 484 of 2006, CWP 844 of 2010 और CWP 1500 of 2010 आ चुकी है। इन सारी याचिकाओं में धारा 118 के पक्ष में ही फैसले आये हैं। लेकिन इन फैसलों के बावजूद धारा 118 और इसके नियम 38 में सरकार 2014 तक कई संशोधन भी कर चुकी है। इस परिदृश्य में धारा 118 को इसकी Statement of Objects की लाईट में समझना और उसे प्रदेश की जनता के सामने रखना और भी आवश्यक हो जाता है।

प्रदेश का भू- सुधार अधिनियम विधानसभा ने 1972 में पारित किया था। उस समय इसे संविधान के शेडयूल VII में रखा गया था। उसके बाद संविधान के चालीसवें संशोधन के बाद इसे 27-5-1976 को शेडयूल नौ में डाल दिया गया था। इस अधिनियम के तहत इसके संचालन के लिये नियम 1975 में बने थे जिनमें समय- समय पर संशोधन होते रहें हैं। यहां यह भी स्मरणीय है कि इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को 1975 में उच्च न्यायालय में CWP 298 of 1975 के माध्यम से चुनौती दी गयी थी और इस याचिका 22-6-1978 को आये फैसले में अदालत ने इसे वैध करार दिया है। इस पर अब तक 1988, 1995, 1997, 2007, 2011, 2012 और 2014 में संशोधन आ चुके है।

धारा 118 के तहत कोई भी गेर कृषक प्रदेश में जमीन नही खरीद सकता है। इसमें कहा गया है कि The Section 118 of the Act now is as follows: "118. Transfer of land to non-agriculturists barred: (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, contract, agreement, custom or usage for the time being in force, but save as otherwise provided in this Chapter, no transfer of land (including transfer by a decree of a Civil Court or for recovery of arrears of land revenue) by way of sale, gift, will, exchange, lease, mortgage with possession, creation of a tenancy or in any other manner shall be valid in favour of a person who is not an agriculturist. इस अधिनियम में गैर कृषकों पर जमीन खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाने का उद्देश्य यह था STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS: "As a result of the re-organisation of the erstwhile State of Punjab in November, 1966, some areas were integrated in Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966. There are different enactments regarding tenancy and agrarian reforms in force in new and old areas of the Pradesh. In the areas as comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966, the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953, is in force which is a progressive legislation about the security of tenures of tenants and their other rights. In the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966, however, occupancy tenants have been vested with proprietary rights under two Acts on the subject namely, the Punjab Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1953 and the Pepsu Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1954. In the old areas the occupancy tenants have to apply for ownership under section 11 of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act. It has, therefore, been considered necessary to unify the various laws relating to tenancies as in force in the Pradesh and to provide for a measure of land reforms to remove disparities. **Restrictions have been imposed to purchase land by the non-agriculturists to avoid concentration of wealth in the hands of non-agriculturists moneyed class.** The Bill is to achieve the above objects." इसके बाद इसी अधिनियम की धारा 104 में 1987 में संशोधन किया गया इस संशोधन का उद्देश्य यह था। Statement of Objects and Reasons of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Bill, 1987 provides as under: STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS: "Under the existing provisions contained in the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1971 the right, title and interest of the Government in the lands owned by it and leased out to a person vest in tenants. It is imperative that the proprietary rights in Government lands, by and large regenerated through public funds, should not pass to private persons. It has, therefore, become necessary to make suitable amendment in section 104 of the said Act. Under the proviso to section 113 of the said Act, the land in respect of with proprietary rights have been acquired by a non-occupancy tenant, can be transferred by way of sale, mortgage gift or otherwise only for productive purposes with the permission of the Collector. In orders to avoid misuse of this provision and to ensure that such permission should be accorded rarely and only under genuine circumstances, it has been decided that the said permission be given by the State Government alone. Section 118 of the principal Act, which restricts transfer of land to non-agriculturists, does not apply to the transfer of lands situated in urban areas, nor does it apply to transfer of lands not used for purposes subservient to agriculture. The lands classified as "Gair-mumkin makan", "Gair-mumkin dhank" can be transferred in favour of non-agriculturists and thus the provisions as they exist leave a loophole in law which is designed to prevent the transfer of land to non-agriculturists. It has, therefore, become necessary to make suitable amendments in the existing law. The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

इस अधिनियम में गैर कृषकों के लिये सरकार से अनुमति लेकर जमीन खरीदने का प्रावधान है। इसमें खरीददार को खरीद का वैध उद्देश्य बताने की आवश्यकता है। इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों में नियम 38 के तहत यह अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें हुए अन्तिम संशोधन में संबद्ध अधिकारियों को अनुमति की प्रक्रिया 15 दिन के भीतर पूरी करने के भी निर्देश हैं। संशोधित नियमों के अनुसार अनुमति की प्रक्रिया जिलास्तर तक ही पूरी हो जाती है। ऐसे में जितने भी संशोधन इसमें अब तक हो चुके हैं उनके बाद इसमें अब कोई और ज्यादा सरलीकरण की गुंजाईश नजर नही आती है। बल्कि इन संशोधनों की आड़ में बहुत सारे लोगों ने इसका नाजायज़ फायदा भी उठाया है। इस अधिनियम के तहत खरीदी गयी जमीन पर दो वर्ष के भीतर उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो जानी चाहिये जिसके लिये ऐसी खरीद की गयी है। इसमें एक वर्ष और तक का भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन सैंकड़ो मामले ऐसे मिल जायेंगे जिनमें कई दशकों तक पूरी भूमि को उपयोग में नही लाया गया है। बल्कि ऐसा लगता है कि अनुमति की आड़ में फालतू जमीनें खरीदी गयी है। लेकिन ऐसी फालतू जीमनों को इसी अधिनियम के तहत अब तक वापिस नही लिया गया है। आज भी प्रदेश के अन्दर चल रहे कई नीजि विश्वविद्यालयों के पास हजारों बीघे जमीने बिना उपयोग के पड़ी हुई हैं जिन्हे वापिस लेने के लिये सरकार की ओर से कोई कदम नही उठाये जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों की ही तरह कई जलविद्युत परियाजनाओं के पास भी ऐसी फालतू जमीने पड़ी है विवेकानन्द ट्रस्ट की जमीन को लेकर तो उच्च न्यायलय में याचिका तक आ चुकी है। धारा 118 पर अपनी साफ नीयत का परिचय देने के लिये सरकार को इन फालतू जमीनों पर कारवाई करनी चाहिये। प्रदेश में किसने कब कितनी जमीन कहां खरीदी है इसको लेकर धूमल शासन के दौरान सदन में एक प्रश्न के उत्तर में करीब सौ पन्नो में जानकारी दी गयी है। जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। कई समाचार पत्रों के नाम पर भी जमीनें ली गयी हैं जिनका कोई उपयोग नही किया गया है। लेकिन इस जानकारी पर कभी कोई कारवाई नही हो पायी है। क्या जयराम सरकार इस पर कोई कारवाई कर पायेगी इसको लेकर अब लोगों में चर्चाएं चल पड़ी हैं।